निर्णय बइजालास मनीषा तिवारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 361/प्रार्थना–पत्र/2018 तारीख दायरा 27.12.2018

उनवान

1. सुरेश पुत्र मांगीलाल जाति तेली निवासी ढाबलीकला तह0 झालरापाटन
2. कलावती बाई बेवा मांगीलाल जाति तेली निवासी ढाबलीकला तह0 झालरापाटन
3. मोहन लाल पुत्र रामप्रताप जाति कुल्मी निवासी डोंडा तह0 झालरापाटन
4. श्यामलाल पुत्र रामनारायण जाति कुल्मी निवासी डोंडा तह0 झालरापाटन

––प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र भँवरलाल जाति तेली निवासी ढाबलीकला तह0 झालरापाटन
2. प्रेमबाई पत्नि बद्रीलाल जाति तेली निवासी ढाबलीकला तह0 झालरापाटन
3. कान्तीबाई पुत्री भँवरलाल पत्नि रमेश जाति तेली निवासी सुकेत तह0 रा0मण्डी जिला कोटा
4. पूनमचन्द पुत्र कालूलाल जाति तेली निवासी ढाबलीकला तह0 झालरापाटन
5. हुकमचन्द पुत्र कालूलाल जाति तेली निवासी ढाबलीकला तह0 झालरापाटन
6. रूकमणी बाई पुत्री कालूलाल जाति तेली निवासी ढाबलीकला तह0 झालरापाटन
7. कान्तीबाई बेवा कालूलाल जाति तेली निवासी ढाबलीकला तह0 झालरापाटन
8. सालगराम पुत्र पन्नालाल जाति तेली निवासी ढाबलीकला तह0 झालरापाटन
9. सुगन बाई बेवा जानकीलाल जाति तेली निवासी ढाबलीकला तह0 झालरापाटन
10. मोहनलाल पुत्र भँवरलाल जाति तेली निवासी ढाबलीकला तह0 झालरापाटन
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झा0पाटन – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थिति– विद्वान अभिभाषक श्री अमितोष आचार्य (प्रार्थीगण)
विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल माहेश्वरी
विद्वान अभिभाषक श्री महेश पाटीदार – (अप्रार्थीगण)

निर्णय

निर्णय दिनांक – 08.01.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ढाबलीकला तह0 झालरापाटन के माल में खाता संख्या नया 338 पुराना 154 के अनुसार खसरा संख्या 1207/737 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा न0 1209/513 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा, खसरा न0 1211/264 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा न0 1213/268 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा चाही दोयम 1 बीघा 8 बिस्वा जाव दोयम 5 बिस्वा, खसरा न0 1215/759 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा न0 1217/518 रकबा 17 बिस्वा, खसरा न0 1219/121 रकबा 15 बिस्वा, खसरा न0 1221/126 रकबा 7 बिस्वा, खसरा न0 1223/511 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा, खसरा न0 1225/520 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा न0 1227/766 रकबा 17 बिस्वा, खसरा न0 1229/788 रकबा 11 बिस्वा, खसरा न0 1242/517 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल 13 किता की 44 बीघा 8 बिस्वा प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण न0 1 लगायत 9 के

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज0)

P.T.O.

खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थी न0 1 का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी न0 2 का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी न0 3 का 1/8 हिस्सा, प्रार्थी न0 4 का 1/8 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण न0 1 व 3 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी न0 2 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी न0 4 व 5 का 1/16 हिस्सा, अप्रार्थी न0 6 का 1/32 हिस्सा, अप्रार्थी न0 7 का 1/32 हिस्सा, अप्रार्थी न0 8 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी न0 9 का 1/8 हिस्सा गलत तरीके से दर्ज कर दिये गए है।

इसीप्रकार ग्राम ढाबलीकला तह0 झालरापाटन की खाता संख्या नया 314 पुराना 201 के अनुसार आराजी खसरा न0 121/908 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा न0 126/909 रकबा 10 बिस्वा, खसरा न0 511/962 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा न0 520 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा न0 766 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा न0 788 रकबा 17 बिस्वा कुल 6 किता की 20 बीघा 3 बिस्वा आराजी जिसमें प्रार्थी न0 1 व 2 का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी न0 1 का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी न0 10 का 1/3 हिस्सा है।

इसी प्रकार ग्राम ढाबलीकला तह0 झालरापाटन की खाता संख्या नया 316 पुराना 211 के अनुसार आराजी खसरा न0 513 रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा में प्रार्थी न0 1 का 5/96 हिस्सा, प्रार्थी न0 2 का 1/32 हिस्सा, प्रार्थी न0 3 का 5/8 हिस्सा, प्रार्थी न0 4 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी न0 1 व 10 का 1/6 हिस्सा है। अप्रार्थी न0 10 मोहनलाल पुत्र भँवरलाल जाति तेली निवासी ढाबलीकला ने माननीय न्यायालय में बटवारे का दावा पेश किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2011 को फाइनल डिक्री जारी की गई। फाइनल डिक्री की पालना में नामांन्तकरण की संख्या 972 तस्दीक किया गया। तथा मोहनलाल पुत्र भँवरलाल का हिस्सा अलग दर्ज कर जमाबन्दी में अलग खाता कायम किया किन्तु पटवारी ने मद न0 2 लगायत 4 एवं अन्य 3 खातों में दर्ज समस्त आराजीयात में से मोहनलाल पुत्र भँवरलाल का हिस्सा अलग करने के बाद नई जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 बनाई तो उसमें मद न0 2 लगायत 4 एवं अन्य 3 खातों में दर्ज सभी खातों की समस्त आराजीयात का एक ही खाता कायम कर एक ही जमाबन्दी में सभी खातेदारों के नाम दर्ज कर सभी के हिस्से गलत दर्ज कर दिये है जबकि मद न0 2 लगायत 4 एवं अन्य 3 खातों में दर्ज आराजीयात में सभी खातेदारों के हिस्से अलग अलग दर्ज है। प्रार्थी न0 1, 2 का मद न0 2, 3 व 4 में हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी न0 3 व 4 का केवल मद न0 4 में हिस्सा दर्ज है जिसकारण पटवारी हल्का ने जो नई जमाबन्दी 2071–2074 बनाकर उसमें मद न0 2 लगायत 4 एवं अन्य 3 खातों में दर्ज सभी खातों की समस्त आराजीयात का एक ही खाता कायम कर सभी के हिस्से गलत दर्ज कर दिए जो निरस्त कर इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थी न0 10 मोहनलाल पुत्र भँवरलाल जाति तेली निवासी ढाबलीकला का हिस्सा अलग हो जाने के बाद मद न0 2 में दर्ज आराजीयात में प्रार्थी न0 1, 2 का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी न0 1 का 1/2 हिस्सा बनता है। मद न0 3 में दर्ज आराजीयात में प्रार्थी न0 1, 2 का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी न0 1 का 1/2 हिस्सा बनता है। मद न0 4 में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज0)

P.T.O.

आराजीयात में प्रार्थी न0 1 का 3/52 हिस्सा, प्रार्थी न0 2 का 7/208 हिस्सा व प्रार्थी न0 3 का 145/208 हिस्सा तथा प्रार्थी न0 4 का 29/208 हिस्सा एवं अप्रार्थी न0 1 का 15/208 हिस्सा बनता है जिस कारण मद न0 1 में दर्ज खाता संख्या नया 338 की आराजीयात में से मद न0 2 लगायत 4 में दर्ज आराजीयात को अलग कर मद न0 2 लगायत 4 के अनुसार अलग अलग खाते कायम किये जाकर इस मद में वर्णित हिस्से दर्ज किये जाने न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र का कारण तत्कालीन पटवारी के द्वारा हिस्से गलत दर्ज किये जाने पर उत्पन्न हुआ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से 1,2 व 9 की तरफ से वकील श्री बद्रीलाल माहेश्वरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 8 की तरफ से वकील श्री महेश पाटीदार द्वार वकालतनामा पेश किया गया तथा पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में रखी गई। तथा अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अप्रार्थी ने 1 व 2 की तरफ से विपरीत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई तथा पत्रावली जवाबुल जवाब में रखी गई। वकील प्रार्थी ने यथासमय तथा नियत समय पश्चात भी विपरीत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया जिसके कारण वकील प्रार्थी का विपरीत प्रार्थना पत्र बन्द किया गया तथा पत्रावली बहस में रखी गई।

पत्रावली में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया गया तथा अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत विपरीत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टतया प्रार्थीगण के पक्ष का प्रतीत होता है तथा वकील अप्रार्थीगण ने विपरीत प्रार्थना पत्रके माध्यम से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा चाहा गया अनुतोष भी न्यायालय उचित मानता है। तथा अप्रार्थी न0 1 व 2 का विपरीत प्रार्थना पत्रस्वीकार किया जाने योग्य है क्योंकि राजस्व विभाग द्वारा की गई खातो में त्रुटि शुद्ध किये योग्य प्रतीत होती है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का विपरीत प्रार्थना पत्रप्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं विपरीत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश है कि जमाबन्दी सम्वत् 2067 लगायत 2070 के खाता संख्या नया 314 पुराना 201 कुल किता 6 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा में से मोहनलाल का 1/3 हिस्सा अलग होने के बाद बची आराजी में प्रार्थी न0 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी न0 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज कर अलग खाता कायम किया जावे। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2067 लगायत 2070 के खाता संख्या नया 312 पुराना 200 कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा में से मोहनलाल का 1/3 हिस्सा अलग होने के बाद बची आराजी में प्रार्थी न0 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी न0 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज कर अलग खाता कायम किया जावे। जमाबन्दी सम्वत् 2067 लगायत 2070 के खाता संख्या नया 316 पुराना 211 कुल किता 1 रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा में से मोहनलाल का हिस्सा अलग

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज०)

P.T.O

होने के बाद बचे आराजी में प्रार्थी न0 1 का 3/52 हिस्सा तथा प्रार्थी न0 2 का 7/208 हिस्सा, प्रार्थी न0 3 का 145/208 हिस्सा, प्रार्थी न0 4 का 29/208 हिस्सा एवं अप्रार्थी न0 1 का 15/208 हिस्सा दर्ज कर अलग खाता कायम किया जावे।

इसी प्रकार अप्रार्थी न0 1 व 2 का विपरीत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश है कि जमाबन्दी सम्वत् 2067 लगायत 2070 के खाता संख्या नया 218 पुराना 214 कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा में से मोहनलाल का हिस्सा अलग होने के बाद बची आराजी में अप्रार्थी न0 1 का 5/8 हिस्सा तथा अप्रार्थीया न0 2 का 3/8 हिस्सा दर्ज कर अलग खाता कायम किया जावे। जमाबन्दी सम्वत् 2067 लगायत 2070 के खाता संख्या नया 35 पुराना 36 कुल किता 1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में से मोहनलाल का हिस्सा अलग होने के बाद बची आराजी में अप्रार्थी न0 1 का 13/24 हिस्सा तथा अप्रार्थी न0 4 लगायत का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थीया न0 3 का 1/8 हिस्सा दर्ज कर अलग खाता कायम किया जावे। जमाबन्दी सम्वत् 2067 लगायत 2070 के खाता संख्या नया 310 पुराना 307 कुल किता 1 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा में से मोहनलाल का हिस्सा अलग होने के बाद बची आराजी में अप्रार्थी न0 1 का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी न0 9 का 19/52 हिस्सा व अप्रार्थीया न0 3 का 7/52 हिस्सा दर्ज कर अलग खाता कायम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.01.28 11:22:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: